संख्या- 46/2019 / 443 /71-1-2019-जी-214/2013

प्रेषक

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनॉक 22 मार्च, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, बदायूँ के निर्माण कार्य हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2018-19/767, दिनॉक 11-02-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में हृदय रोग अस्पताल, कन्नौज में रू0 318.15 लाख, पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, सैफई, इटावा में रू0 100.00 लाख तथा राजकीय मेडिकल कालेज, चन्दौली में रू0 81.85 लाख कुल रू0 5,00,00,000/- (रू0 पॉच करोड़ मात्र) की बचत के सापेक्ष मेडिकल कालेज, बदायूँ हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में रू0 5,00,00,000/- (रू0 पॉच करोड़ मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
(3) उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराए जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/संबंधित कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक एवं परियोजना प्रबन्धक की होगी।
(4) जिस मद से धनराशि संक्रमित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है, उसमें इस वित्तीय वर्ष में पुनः अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।
(5) महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
(6) जिस मद में बचत बताते हुए उससे पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उसमें पुनर्विनियोग हेतु आवश्यक धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) महानिदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(8) व्यय वित्त समिति की शर्तो एवं वित्त बजट (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30-03-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-16-मेडिकल कालेज, बदायूँ-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-395/दस-2019, दिनॉक 15 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या:- 46/2019/443 (1)/71-1-2019 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बदायूं।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बदायूं।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बदायूं।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र–9(1) (संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158) (इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या–83–चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण | वित्तीय वर्ष 2018–19 | प्रपत्र–बी0एम0–9 | (रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) पूंजी	आवेदन पत्र देने के दि0 उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03– चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–789– अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना –					
21–मेडिकल कालेज, कन्नौज में हृदय रोग अस्पताल–					
24–वृहत निर्माण कार्य–	318.15	318.15	318.15	318.15	0.00
30–पैरा मेडिकल इन्स्टीट्यूट, सैफई, इटावा–					
24–वृहत निर्माण कार्य–	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
32–राजकीय मेडिकल कालेज, चंदौली–					
24–वृहत निर्माण कार्य–	81.85	81.85	81.85	81.85	0.00
योग–	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**0.00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) पूंजी	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03 –चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 16–राजकीय मेडिकल कालेज,बदायूँ					
24–वृहत निर्माण कार्य–	1272.60	~~3486.76~~ 1772.60	500.00	500.00	~~772.60~~ 1772.60

1–स्तम्भ–3 में **उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :–**
वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत पूँजी लेखा पक्ष में मेडिकल कालेज, कन्नौज में हृदय रोग अस्पताल में मानक मद–24–वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 318.15 लाख, पैरा मेडिकल इन्स्टीट्यूट सैफई, इटावा में मानक मद–24–वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 100.00 लाख, राजकीय मेडिकल कालेज, चंदौली में मानक मद–24–वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 81.85 लाख, कुल धनराशि रू0 500.00 लाख की बचत संभावित है।

2–स्तम्भ–8 में **उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–**
प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ के पत्र संख्या–975/रा0मे0का0ब0/2018 दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित करते हुये इस आशय से प्रेषित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–83 से अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जाये जिससे वर्ष 2019–20 को शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ किया जा सके।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आ0ई0 संख्या– 652/ई-3-395/x-19 दिनांक– 15.3.2019
रे.वा में,
महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

(पवित्र कुमार) 15/03/2019
उप सचिव
वित्त विभाग

संख्या–46/2019/(1)/443/71–1–2019 तद्दिनॉक, दिनॉक मार्च, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3– प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बदायूँ।
4– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5– वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बदायूँ।
5– कोषाधिकारी, बदायूँ।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3
8– समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार),
संयुक्त सचिव

Anu S.P.M.